


प्रलिमिंस फैक्ट्स: 01 जुलाई, 2021

- [गंडी राष्ट्रीय उद्यान: तमलिनाडु](#)

गंडी राष्ट्रीय उद्यान: तमलिनाडु (Guindy National Park: Tamil Nadu)

चेन्नई स्थिति **गंडी राष्ट्रीय उद्यान** (तमलिनाडु) शहर के लोगों को वभिन्न पारतंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services) प्रदान करता है।

- पारतंत्र सेवाओं का आशय मानव कल्याण के लिये पारस्थितिक तंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान से है।



प्रमुख बदि

गंडी राष्ट्रीय उद्यान

- यह भारत का आठवाँ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और उन चुनवि राष्ट्रीय उद्यानों में से भी एक है, जो शहर के अंदर अवस्थित हैं। यह चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है।
- यह कोरोमंडल तट के उषणकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों के अंतमि हिस्सों में से एक है।
- गंडी राष्ट्रीय उद्यान की लगभग 22 एकड़ जमीन को बाह्य-स्थाने संरक्षण (Ex Situ Conservation) के लिये चलिड्रन पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया है।
- गंडी सरप उद्यान, गंडी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही स्थित है। इसे वर्ष 1995 में [केंद्रीय चडियाघर प्राधिकरण](#) (Central Zoo Authority-CZA) से एक मध्यम चडियाघर के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी।
- वर्ष 1978 में इस छोटे क्षेत्र, जिसे पूर्व में गंडी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था, को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

वनस्पति और प्राणीजगत:

- इसमें वृक्षों की 30 से अधिक प्रजातियाँ और कई शताब्दी पुराने विशाल बरगद के वृक्ष मौजूद हैं।

- साथ ही इसमें काले हरिण, चित्तीदार हरिण, सयार, साँपों की भन्नि-भन्नि प्रजातियाँ, पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियाँ और ततिलियों की 60 से अधिक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

तमलिनाडु के अन्य राष्ट्रीय उद्यान:

- [मन्नार की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान](#) (धनुषकोडी)।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जसिं पूर्व में अनामलाई वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था।
- [मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान](#), ऊटी।
- [मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान](#), मुदुमलाई।

बाह्य-स्थाने और स्व-स्थाने संरक्षण

- बाह्य-स्थाने (एक्स सीटू) संरक्षण का आशय वनस्पतिया जीवों के उनके प्राकृतिक आवास या मूल वातावरण के बाहर एक अलग स्थान पर संरक्षित करने से है।
 - संरक्षण की इस पद्धतिके अंतर्गत जीन बैंक, बीज बैंक आदिका रखरखाव शामिल है।
- स्व-स्थाने (इन सीटू) संरक्षण का आशय वनस्पतिया जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने से है।
 - इस पद्धतिके अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदिके रूप में प्राकृतिक आवासों का रखरखाव शामिल है।